संख्या- 48/2018/1011/71-1-2018-जी-214/2013

प्रेषक,

शमीम अहमद खान,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 16 मार्च, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ के निर्माण कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

राजकीय मेडिकल कालेज, बदायू के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2470/71-1-2013-जी-214/2013, दिनॉक 20-12-2013 द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा आकलित लागत रू0 5,45,21,22,000/- (रू0 पॉच अरब पैतालीस करोड़ इक्कीस लाख बाइस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तदोपरान्त मूल लागत पुनरीक्षित होने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या'-69/2017/776/71-1-2017-जी-214/2013, दिनॉक 31-03-2017 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु रू0 64611.21 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गई। उक्त पुनरीक्षित लागत रू0 64611.21 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल रू0 38807.04 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्र0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	शासनादेश संख्या-2470/71-1-2013-जी-214/2013, दिनॉक 20-12-2013	1300.00
2	शासनादेश संख्या-1121/71-1-14-जी-214/2013, दिनॉक 25-03-2014	500.00
3	शासनादेश संख्या-1963/71-1-2014-जी-214/2013, दिनॉक 30-06-2014	2363.70
4	शासनादेश संख्या-11/2814/71-1-14-जी-214/2013, दिनॉक 26-09-2014	3666.90
5	शासनादेश संख्या-71/3110/71-1-2014-जी-214/2013, दिनॉक 29-12-2014	1060.50
6	शासनादेश संख्या-26/2015/267/71-1-2015-जी-214/ 2013, दिनॉक 26-02-2015	1500.00
7	शासनादेश संख्या-105/2015/901/71-1-2015-जी-214/2013, दिनॉक 30-04-2015	4727.40
8	शासनादेश संख्या-129/2015/970/71-1-2015-जी-214/2013, दिनॉक 27-07-2015	1272.60
9	शासनादेश संख्या-158/2015/1942/71-1-2015-जी-214/2013, दिनॉक 15-09-2015	4500.00
10	शासनादेश संख्या-1/2016/2539/71-1-2015-जी-214/2013, दिनॉक 01-01-2016	2757.65
11	शासनादेश संख्या-40/2016/333/71-1-2016-जी-214/2013, दिनॉक 15-03-2016	742.35
12	शासनादेश संख्या-97/2016/635/71-1-2016-जी-214/2013, दिनॉक 31-03-2016	1542.49
13	शासनादेश संख्या-118/2016/1190/71-1-2016-जी-214/2013, दिनॉक 11-05-2016	10773.45
14	शासनादेश संख्या-12/2018/111/71-1-2018-जी-214/2013, दिनॉक 31-01-2018	2100.00
	योग	**38807.04**

2- आपके पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2017-18/3837, दिनॉक 14-03-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, बदायूँ के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 12,72,60,000/- (रू0 बारह करोड़ बहत्तर लाख साठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष् प्रदान करते है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार व व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद/कार्य में किया जाय, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की गयी है, किसी अन्य कार्य/मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- मात्राओं के निर्माण का समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य का होगा।

4- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी। इनके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय।

5- प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा पी0एफ0ए0डी0/व्यय वित्त समिति की शर्तो तथा वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 03-08-2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

8- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

9- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

10- शासनादेश संख्या-2470/71-1-2013-जी-214/2013, दिनॉक 20-12-2013 तथा शासनादेश संख्या'-69/2017 /776/71-1-2017-जी-214/2013, दिनॉक 31-03-2017 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

11- उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष होने वाले निर्माण कार्यो की नियमानुसार थर्ड पार्टी आडिट कराकर थर्ड पार्टी आडिट रिपोर्ट में उल्लिखित आपत्तियों का निराकरण करके उसकी रिपोर्ट समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। थर्ड पार्टी आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही अगली किश्त निर्गत की जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-16-मेडिकल कालेज, बदायूँ-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनॉक 03 अगस्त, 2017 एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22-07-2014 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है। भवदीय

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव

संख्या:48/2018/1011(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, बदायूं।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, बदायूं।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बदायूं।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/समाज कल्याण, बजट प्रकोष्ठ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।